

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/मानिट/2012/ 2456


भोपाल, दिनांक— 9/3/12

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला – रीवा  
मध्यप्रदेश
2. जिला परियोजना समन्वयक  
जिला शिक्षा केन्द्र  
जिला— रीवा, म.प्र.

विषय – विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4559 माननीय विधायक श्री राम गरीब कोल

विषयांतर्गत लेख है कि विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4559 आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार कर दिनांक 11.3.2012 तक राज्य शिक्षा केन्द्र में विधान कक्ष एवं मानिट कक्ष को ई-मेल [monit.rsk2011@gmail.com](mailto:monit.rsk2011@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।


  
संचालक, सीमेट एवं  
नोडल ऑफीसर, मानिट,

पू.क्रमांक/राशिके/मानिट/2011/ 2457

भोपाल, दिनांक— 9/3/12

प्रतिलिपि—

1. ICT कक्ष समन्वयक की ओर सर्वशिक्षा अभियान की बेवसाईट अपलोड हेतु प्रेषित।

  
संचालक, सीमेट एवं  
नोडल ऑफीसर, मानिट,

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 17/03/2012

वर्ग 5 बैठक का दिनांक 21/03/2012 विभाग का नाम स्कूल शिक्षा

विषय - प्रति नियुक्ति सम्भार कर मूल विभाग में वापस करने बाबत।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4559) श्री राम गरीब कोल

क्या स्कूल शिक्षा, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा राष्ट्रीय महत्व के कार्य को छोड़कर अन्य कार्य नहीं कर सके जाने का नियम है ?

(ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या वर्तमान में रीवा जिला अंतर्गत जनपद पंचायतों में शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य कार्य कर रहे हैं यदि हाँ तो उनके नाम, पद, सहित जानकारी दें ?

(ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या जनपद पंचायतों में कार्यरत शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाकर शिक्षकीय कार्य हेतु शालाओं में पदस्थ करेंगे ? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

Handwritten notes: 22/3/12, DEO - राय

Handwritten notes: DEO - राय, 17/3/12, SK

RSK

Handwritten signature and date: 17/3/12, स्कूल